

“सार्वजनिक सूचना”

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है परिषद का संकल्प क्रं. 02 दिनांक 04/04/2018 द्वारा शहर में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों से ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार (डोर टु डोर गारबेज कलेक्शन चार्ज) की वसूली हेतु वर्ष 2018-19 के लिए निम्नानुसार दरें लागू की गई है जो कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है:-

शुल्क का प्रकार	रेट झोन - 01		रेट झोन - 02		रेट झोन - 03		रेट झोन - 04		रेट झोन - 05	
	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार	रु.150/- प्रतिमाह	रु.180/- प्रतिमाह	रु.130/- प्रतिमाह	रु.160/- प्रतिमाह	रु.100/- प्रतिमाह	रु.140/- प्रतिमाह	रु.90/- प्रतिमाह	रु.120/- प्रतिमाह	रु.60/- प्रतिमाह	रु.100/- प्रतिमाह

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित उपरोक्त दरों के अनुसार गणना कर आपको गत वर्ष 2017-18 की पूर्व निर्धारित दर अनुसार बकाया राशि सहित ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार जमा कराने हेतु निगम द्वारा बिल जारी किए गए हैं। GCP खाता क्रमांक अनुसार जारी बिलों में दर्ज वर्षवार शुल्क राशि की जानकारी निगम की वेबसाइट www.imcindore.org पर उपलब्ध है।

अतः जारी किए गए बिल अनुसार ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार की राशि का भुगतान आन लाईन जमा कराने हेतु निगम वेबसाइट www.imcindore.org पर या संबंधित झोनल कार्यालय / निगम मुख्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

आशीष सिंह (आई. ए. एस.)
आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर